न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 93/2022 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा— 88, 89, 92क, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

1. श्री बाबुलाल पिता सोहनलाल जाती बागरिया उम्र वयस्क, नि0 कीडीमाल, तह. करेडा जिला भीलवाडा

——वादी

बनाम

1. सोहन पिता नन्दा जाती बागरिया उम्र वयस्क, नि0 कीडीमाल, तह. करेडा जिला भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिऐ तहसीलदार साहब करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिए उप पंजीयक साहब करेड़ा तह0 करेड़ा जिला भीलवाडा

——प्रतिवादीगण

अन्तर्गत धारा —, 88, 89, 92क, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेघाज्ञा

उपस्थितः—

01 श्री मुकेश सिह तंवर — अधिवक्ता वादीगण
02 श्री कमलेश महैता — अधिवक्ता प्रतिवादीसख्या01

:: निर्णय :: दिनांक 10.01.2023

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा , 88, 89, 92क, 188 — राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कीडीमाल पटवार हल्का कीडीमाल के खाता संख्या 425 में अंकित आराजी नम्बर 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 3538/2867, कुल किता 11 रकबा 0.0875 हैक्टर भूमि विपक्षी सख्या 01 के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजियात मे प्रतिवादी सख्या 01 ने वादी को 1/3 हक हिस्सा का हिस्सेदार बनाया व सबुत के तोर पर एक तहरीर जारी कर 100रूप्ये के स्टाम्प पर दिनांक 08.04.2012 को वादी के पक्ष मे निस्पादित किया साथ ही आश्वासन दिया कि पंजियन करवा दूंगा परन्तु प्रतिवादी सख्या 01 के मन मे लालच के वसीभूत होकर वादी के साथ धोखाधडी करने की नियत से जमीन अन्य व्यक्तियो को विक्रय करने पर आमादा होने से वादी को वाग्रस्त आराजियात का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है साथ ही प्रतिवादी सख्या 01 को स्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द किसा जाना आवश्यक होने की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जारी किए गए। प्रतिवादी सख्या 01 की ओर से अधिवक्ता कमलेश मेहता उपस्थित हुए व वादग्रस्त आराजियात के सबंध मे कथन किया कि प्रतिवादी सख्या 01 के वादी के अलावा 09 अन्य विधिक वारिसान है जिसे वादी ने जानबुझ कर पक्षकार नहीं बनाया, जिसके समर्थन मे ग्राम पंचायत कीडीमाल से सजरा प्रमाणित पेश किया। दौराने बहस वादी ने प्रतिवादी सख्या 01 के अन्य वारिस होना स्वीकार किया है कानुन सभी विधिक वारिसान का वादग्रस्त आराजियात मे समान हक हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होना उभयपक्ष ने स्वीकार किया है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात मे वादी का हिस्सा 1/10 ही बनता है, जिसे उभयपक्ष ने स्वीकार किया है। वादी को प्रश्नगत खातेदारी भूमि में 1/10 हक हिस्से तक वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने पर उभयपक्ष सहमत होने स तनकी कायम नही की गई उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वादी का वादपत्र ऑशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादी को वादग्रस्त आर[illegible] 1/10 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः

आदेश

वादी का वादपत्र आशिंक रूप से स्वीकार किया जाकर वादी को ग्राम कीडीमाल पटवार हल्का कीडीमाल के खाता संख्या 425 में अंकित आराजी नम्बर 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866,

उपखड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:18:35 IST
Reason: SelfAttested

स वादी का हक सृजित हो गया है जिससे वादी को खातेदार घोषित किया

3538/2867, कुल किता 11 रकबा 1.0875 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकोर्ड मे 1/10 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं प्रतिवादी सख्या 01 को स्थायी निषेघाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात मे 1/10 हक हिस्से मे वादी के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करेंगे

उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कर अमल दरामद किया जावे।खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 18:18:35 IST
Reason: SelfAttested